तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
25.5.17	26/2017 इकरामान्ता / भैराराम वगै.	
	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार मे अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.कमठाई मे पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं विप्रार्थी स.2 उपस्थित। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस तामील शुदा प्रापत हुई जो शामिल मिसल हो। विप्रार्थी स.1 बावजुद सुचना के हाज़िर नही होने के कारण उनके विरूद एकरतफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। विवादित भूमि के सबंध मे तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि,प्रार्थी का मूल खातेदारी भूमि ग्राम धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा सख्या 277 रकबा 17–13 बीधा भूमि अवस्थित था। जिसमे से प्रार्थी द्वारा 13–15 बीधा भूमि का बेचान विप्रार्थी स.1 को किये जाने के कारण खसरा संख्या 493/277 रकबा 13–15 बीधा नये कायम हुई। और प्रार्थी का खसरा सख्या 277/237 रकबा 3–18 बीधा कायम हुई। और बेचान के आधार पर मौका स्थिति के अनुसार तरमीम कायम करने के बजाय तत्कालीन राजस्वकर्मी द्वारा मौका स्थिति से विपरीत जाते हुए तरमीम की गई। इस प्रकार प्रार्थी की भूमि की तरमीम मौका स्थिति से भिन्न हो गई। जो प्रार्थी मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने का हकदार हैं। आगे ओर कथन किया,कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाती है। तो प्रार्थी सहमत हैं। विप्रार्थी स.2 ने कथन किया कि मौका रिपोर्ट के अनुसार तरमीम दुरूस्त कि जाती है। तो मौका एवं रिकार्ड मे एकरूपता आयेगी। हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजो एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का खसरा नम्बर 277/237 पूर्व मे 17–13 बीधा क्षेत्रफल की भूमि थी। जिसमे से प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को इस खसरे मे से रकबा 13–15 बीधा भूमि विकय करने पर खसरा का विभाजन हुआ। विकय उपरानत वर्तमान तक प्रार्थी के खसरा संख्या 277/237 एवं विप्रार्थी के खसरा सख्या 493/277 के मध्य लटठा ट्रेस मे तरमीम की एक स्पष्ट	

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जारी हुए हुक्म की तारीख

तरमीम रेखा एवं उसके दोनो तरफ धुधली–धुधली एक एक तरमीमें लाईन खीची हुई है। ये दोनो धुधंली लाईन लटठा ट्रेस मे धुधंली एवं अस्पष्ट कॉस(तरमीम काटने का चिन्ह) प्रतीत हो रही है।तरमीम की स्पष्ट रेखा जो दोनो धुधंली रेखा के मध्य अवस्थित है।वही तरमीम रेखा है। इस प्रकार रिपोर्ट के सलंग्न प्रस्तावित नक्शे मे रेखा ए.बी एवं सी.डी. रेखा धुंधली है,जिन्हे निरस्त किया जाकर ओ.पी.तरमीम रेखा स्पष्ट एवं क्षेत्रफल अनुसार सही होने से विधमान रखा जाना प्रस्तावित किया गया है।इस प्रकार तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है,कि वर्तमान तरमीम मौका स्थिति के अनुसार सही नही है। और तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्त किये जाने की भी अभिशंष की गई है। एवं मजमे आम मे भी पुछताछ करने पर उक्त तथ्यो की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा सख्या 277/237 के नक्शे मे अवशिष्ट रेखा ए.बी व सी.डी. रेखा धुंधली है,जिन्हे निरस्त किया जाकर ओ.पी.तरमीम रेखा स्पष्ट एवं क्षेत्रफल अनुसार सही होने से विधमान रखे जाने का आदेश देते हुए तदनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार तहसीलदार सिणधरी राजस्व रिकार्ड मे तरमीम दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करावे।

आदेश मजमे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

25/5/12

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner